

बिहार सरकार**ऊर्जा विभाग**

पत्रांक— प्र02/ ग्रा० वि० –01/2014 (खंड)

पटना, दिनांक —

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,**ऊर्जा विभाग,****बिहार, पटना।**

विषय:-

12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 4633.88 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर की राशि 827.26 करोड़ रुपये में से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 420.00 करोड़ (चार सौ बीस करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या—1174 दिनांक 21.04.2016 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 4633.88 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर की राशि 827.26 करोड़ रुपये में से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 420.00 करोड़ (चार सौ बीस करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2016–17	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
7800000000.00	0.00	4200000000.00	4200000000.00	3600000000.00

2. उक्त राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष—4801—बिजली परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 05—संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष 190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उप शीर्ष 0107—नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, मांग संख्या—10 विपत्र कोड संख्या पी० 4801051900107, विषय शीर्ष 5401—निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०उ०

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर विनिष्ट राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष एल0 8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-क्रो-8448001200048 में जमा की जाएगी।
7. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र02/ ग्रा0 वि0 -01/2014 (खंड)

पटना दिनांक

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।
पटना, दिनांक २१०५२०१६

ज्ञापांक- प्र02/ ग्रा0 वि0 -01/2014 (खंड) ३३

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।